अपील सूचना अधिकार संख्या 44/2017 अनवानी राधेश्याम पुत्र खेतपाल निवासी चक 3 एन एम ढांबा तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

12-06-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ का डाक से प्राप्त प्रतिवेदन संख्या 947 दिनांक 20.05.2017 शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रसद, अनूपगढ से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

1.राजीव गांधी स्वय सहायता समूह गांव ढांबा का गठन किस उद्देश्य व आधार पर किया गया था।
2.उक्त समूह मे कितने स्थाई व सक्रिय सदस्य महिला व पुरूष है।
3.उक्त सदस्यों का स्थाई पता मय फोटो उपलब्ध करवाये।
4.उक्त सदस्यों का स्थाई पता मय फोटो उपलब्ध करवाये।
5.उक्त समुह द्वारा किन किन सरकारी योजनाओ से सहायता प्राप्त की गई व कितनी कितनी राशि प्राप्त की गई ब्यौरा दे।
6.उक्त समूह में इमीचंद किस पद पर कार्यरत है व इस व्यक्ति द्वारा उचित मुल्य की दुकान का संचालन किस आधार पर किया जाता रहा है।
7.उचित मूल्य दुकान का रिकार्ड कब से कब तक गुमा दिखाया गया है व रिकार्ड गुमा हुआ है इस सम्बन्ध में क्या क्या साक्ष्य दिये गये ब्यौरा दे।
8.रिकार्ड गुम की जांच किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व अब तक जांच का क्या नतीजा रहा।
9.रिकार्ड गुम की जानकारी किन किन अधिकारीयों को है व उक्त डीलर के खिलाफ मुकदमा क्यों नही दर्ज किया गया।
10.समूह संचालिका की 8वी पास की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति उपलब्ध करवायी जावें।

विशेष अनुरोध:-
1.उपरोक्त लिखी जानकारी अगर आपके विभाग से सम्बन्धित नही हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उप धारा 6(3) के अनुसार सम्बन्धित विभाग में भिजवाये।
2.कृपया उपरोक्त लिखी जानकारी कि फोटो प्रति सहित एवं पठनीय व किसी सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर भिजवानें का कष्ट करे।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 947 दिनांक 20.05.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 07.03.2017 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण पत्र सं0 447-48 दिनांक 09.03.17 के द्वारा राजीव गांधी स्वयं सहायता समूह गांव ढाबा ग्राम पंचायत नाहरावाली को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवा दिया गया था और प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया था एवं उनके द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने की अवस्था में उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए लिखा गया था। इसलिए अपीलार्थी की अपील निरस्त की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के उक्त प्रतिवेदन के साथ प्राप्त पत्र सं0 447-48 दिनांक 09.03.17 की प्रति के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध राजीव गांधी स्वयं सहायता समूह ग्राम ढाबा ग्राम पंचायत नाहरावाली से होने के कारण उन्हे सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया है एवं इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित कर संबंधित द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाने की सूरत में उनके सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रा।ग।
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध राजीव गांधी स्वयं सहायता समूह ग्राम ढाबा ग्राम पंचायत नाहरावाली से होने के कारण उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा दिनांक 09.03.17 को अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र उन्हे सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रेषित कर अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। यदि राजीव गांधी स्वयं सहायता समूह ग्राम ढाबा ग्राम पंचायत नाहरावाली द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है तो अपीलार्थी को उनके सक्षम अपील अधिकारी सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील करनी चाहिए। निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजीव गांधी स्वयं सहायता समूह ग्राम ढाबा ग्राम पंचायत नाहरावाली के अपील अधिकारी नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर यहां से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण मूल अपील वापिस लौटाई जानी उचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की मूल अपील सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापिस लौटाई जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रसद अनूपगढ़ को भिजवाई जावे। अपील की प्रति रखी जाकर मूल अपील पत्र मय आदेश की प्रति सहित अपीलार्थी को सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लौटाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर